HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9577/2026
CNR: RJHC020579012026 | URN: CRLMB / 17783U / 2026

Vinod Kumar Sharma @ Vinod Pandya S/o Mangilal, Aged About 37 Years, R/o Dholi Gumati Kolana Police Station Bandikui District Dausa (At Present Confined In Centre Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vinod Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

03/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–रामनगरिया, जयपुर शहर, पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**520/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 305(b) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। यह भी निवेदन किया कि वह दिनांक 15.04.2026 से अभिरक्षा में है, अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, अंत में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

जबकि विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया।

हस्तगत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने परिवादी के घर में गृह–भेदन कर सोने–चांदी के जेवरात व अन्य सामग्री की चोरी की।

अभियुक्त के विरूद्ध चोरी व अन्य अपराधों से संबंधित कुल 26 आपराधिक प्रकरण पूर्व से ही संस्थित हो रखे हैं, अतः अभियुक्त के भारी–भरकम आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए तत्काल जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

चूंकि अभियुक्त अभिरक्षा में है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण के यथाशीघ्र निस्तारण का प्रयास करें।

छः माह में प्रकरण के विचारण में सारवान प्रगति नहीं होती है तो अभियुक्त नवीन जमानत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिस पर नये सिरे से सुनकर विचार किया जा सकेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

81/Mittal